धारा-86. सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि के बन्धक पर ऋण देने का अधिकार.- ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन केलिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को, बिना कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।